



2026:AHC:166855

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27725 सन् 2026

अमन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

:

विश्राम तिवारी, रितेश सिंह

विपक्षी पक्षकार की ओर से अधिवक्ता

:

अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आज न्यायालय में सूचनादाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री दीपांशी श्रीवास्तव ने अपना वकालतनामा दाखिल किया, जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विश्राम तिवारी एवं श्री रितेश सिंह, सूचनादाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री दीपांशी श्रीवास्तव तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री शत्रुहन यादव को सुना गया।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वर्तमान जमानत आवेदन, विचारण लंबित रहने के दौरान, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर में धारा 103(1), 238(ख), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत पंजीकृत वाद अपराध संख्या 249 सन् 2026 में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्तागण प्रस्तुत करते हैं कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का वाद है और 18 दिनों के पश्चात्, अंतिम बार साथ देखे जाने के साक्ष्य के आधार पर अत्यंत अनौपचारिक रूप से आवेदक को सह-अभियुक्त सचिन के साथ वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है। अंतिम बार साथ देखे जाने के साक्ष्य के अतिरिक्त अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है।
5. वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि यद्यपि सह-अभियुक्त सचिन कुमार का जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 26764 सन् 2026 में पारित दिनांक 03.08.2026 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, तथापि आवेदक का प्रकरण उससे भिन्न है, क्योंकि वही मृतक के वाहन को बुक कराने वाला व्यक्ति था।
6. वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वर्तमान प्रकरण में वह 28.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है।
7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनादाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक भी सह-अभियुक्त सचिन कुमार सहित अन्य अभियुक्तों के साथ वर्तमान प्रकरण में संलिप्त है; तथापि वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि वर्तमान प्रकरण में आवेदक का नाम पहली बार 18 दिनों के पश्चात् सामने आया तथा अंतिम बार साथ देखे जाने के साक्ष्य के अतिरिक्त अभिलेख पर उसके विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य नहीं है।
8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा वाद के अभिलेख का परिशीलन किया।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का वाद है और इससे परिलक्षित होता है कि 18 दिनों के पश्चात् अंतिम बार साथ देखे जाने के साक्ष्य के माध्यम से आवेदक को वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है तथा अंतिम बार साथ देखे जाने का साक्ष्य भी संदिग्ध प्रतीत होता है।

10. इसके अतिरिक्त, यह विधि भी सुस्थापित है कि केवल अंतिम बार साथ देखे जाने के साक्ष्य के आधार पर सामान्यतः किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करना संभव नहीं है।

11. इसके अतिरिक्त, यद्यपि सह-अभियुक्त सचिन कुमार का जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है, तथापि वह मुख्य अभियुक्त प्रतीत होता है, जिसने मृतक का वाहन बुक कराया था। अतः आवेदक का प्रकरण उससे भिन्न है।

12. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वर्तमान प्रकरण में वह 28.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है।

13. अतः ऊपर विवेचित वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरी दृष्टि में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

14. तदनुसार, वाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

15. आवेदक **अमन** को उपर्युक्त वाद में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न कर दी जाए।

(ii) आवेदक किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विरत करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदक किसी आपराधिक अथवा समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

16. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में अभियोजन आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु इस न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निस्तारण के प्रयोजन से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं तथा उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10 अगस्त, 2026

ए.के. पाण्डेय

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।